मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 1208 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 5/09/2009

प्रति, (अति महत्वपूर्ण)

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नाम से)
   जिला ..... (समस्त 50 जिले)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (नाम से)
   जिला पंचायत ..... (समस्त 50 जिले)
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के संबंध में।

विषयांतर्गत पूर्व में कार्यालय के पत्र क्रमांक 899/22/वि–7/ रा.ग्रा.रो.गा.यो./07 दिनांक 30.4.2007 से संलग्न करते हुए भारत शासन का पत्र क्रमांक 28012/3/05–06–एनआरईजीए नई दिल्ली दिनांक 30 मार्च, 2007 से आपको प्रशासनिक व्यय के मदों के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे ।

विभिन्न बैठकों, विडियो कॉन्फेन्स के माध्यम से भी निरन्तर निर्देशित किया गया है कि प्रशासनिक व्यय एवं क्रय के प्रकरणों मे प्रक्रिया, औचित्य, आवश्यकता निरूपण एवं नियमों के पालन किये जाये । परन्तु इस संबंध मे अनुश्रवण एवं विधानसभा सत्र माह जुलाई–अगस्त 2009 के दौरान विभिन्न विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के माध्यम से निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुए है :–

1. आवश्यकता एवं औचित्य का विश्लेषण न करना ।
2. भण्डार क्रय नियमों का पालन न करना ।
3. सक्षम वित्तीय स्वीकृतियॉ न होना ।
4 अनावश्यक रूप से केन्द्रीकृत खरीदी करना ।

स्पष्ट है कि जिलों में प्रशासनिक मद से व्यय एवं क्रय करने में सुविचारण (Application of Mind) का एवं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है एवं इस संबंध में गंभीर प्रकार की वित्तीय विसंगतियां परिलक्षित हुई है । आप सहमत होंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में, भविष्य में अप्रिय स्थितियों से भी इंकार नहीं किया जा सकेगा ।

स न तो अनुज्ञेय है और न ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम संचालित करने की भावना से सुसंगत है ।

उपरोक्त विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से संलग्न भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 मार्च 2007 छायाप्रति पुनः संलग्न है, के अनुसार बिन्दु क्र. 4 का कड़ाई से पालन किया जाना है । इसी के साथ निम्नानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए :–

1. अन्य योजनाओं का व्यय या नियमित कार्यालयीन व्यय संबंधी मदें किसी भी प्रकार से इस योजना के प्रशासनिक व्यय पर भारित न की जाये ।
2. भण्डार क्रय नियमों के अनुसार ही एवं अतिआवश्यक एवं औचित्यपूर्ण होने पर ही स्टेशनरी आयटम सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमों के परिप्रेक्ष्य मे ही क्रय किये जा सकते हैं। इस संबंध मे जिला स्तर पर केन्द्रीकृत व्यय कदापि न किया जाये ।
3. एक वर्ष की आवश्यकता के अनुसार ही मस्टररोल एवं मेजरमेन्ट बुक की छपवाई का आदेश केवल शासकीय प्रिटिंग प्रेस को दिया जाये। छपवाई समय पर हो सके और निरंतर उपलब्धता बनाये रखने के लिये वर्ष मे दो या अधिक बार उपलब्धता एवं आगे आवश्यकता का ऑकलन कर प्रिटिंग प्रेंस को आदेशित करें । यदि अन्य किसी प्रिटिंग प्रेस को यह आदेश दिये गये तो यह गंभीर प्रकार की वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी । किसी अन्य प्रकार के प्रिटिंग के लिए जो कि अत्यावश्यक हो अथवा आपात स्थिति हो तथा शासकीय प्रिंटिग प्रेस द्वारा नियत अवधि मे काम करने मे असमर्थता प्रकट करने की दशा मे तथा नियमानुसार अन्य किसी प्रिटिंग प्रेस को आदेश प्रदाय करने की स्थिति मे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा नियमानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी । ऐसी प्रिटिंग भी सुविचारण एवं औचित्य प्रतिपादन के पश्चात ही औचित्यपूर्ण मात्रा मे ही करवाई जा सकेगी ।
4. Work site facility के अंतर्गत जिला स्तर/जनपद स्तर पर केन्द्रीकृत क्रय कदापि न किया जाये। क्रियान्वयन एजेंसी के स्तर पर ही यह निर्णय नियमानुसार लिया जाएगा ।
   (अ) छाया के लिए किसी भी प्रकार के तम्बू/टेन्ट का क्रय न किया जाये । स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर छप्पर आदि का निमार्ण कराया जाये ।
   (ब) जल की व्यवस्था हेतु मिट्टी के मटकों को औचित्य एवं आवश्यकता अनुसार क्रय किया जा सकता है ।

(स) प्राथमिक चिकित्सा के अन्तर्गत कियान्वयन एजेंन्सी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदित औषधियॉ कार्यस्थल पर रखेगें । यदि एक कार्यस्थल पर इस प्राथमिक चिकित्सा बाक्स की आवश्यकता नही पडती है तो इसको दूसरे कार्यस्थल पर उपयोग किया जायेगा । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीकृत खरीदी नहीं की जायेगी । कियान्वयन एजेंसी आवश्यकता अनुसार एवं नियमों एवं प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य मे स्वयं यह व्यवस्था करेगी ।

5. योजना संचालन के लिए वाहनों का प्रयोग अत्यंत मितव्ययिता से एवं नियमानुसार ही करना होगा। वाहनों का संयोजन इस प्रकार किया जाये कि कम से कम व्यय में योजना का संचालन हो सके । वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी इसके लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे ।

6. स्कीम से संबंधी विज्ञापन के लिए एक मात्र एजेंन्सी संचालनालय जनसंपर्क है । किसी भी स्तर से स्थानीय एवं निजी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं आदि को सीधे विज्ञापन आदि न दिये जाये। इस संबंध मे परिषद् का पत्र क्रमांक 4692/ NREGS-MP/मीडिया/2008 भोपाल दिनांक 24/07/2008 की छायाप्रति संलग्न है । स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए जन संपर्क विभाग अथवा मध्यप्रदेश माध्यम का उपयोग किया जाये । इस संबंध मे मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक 49/मुस/जस/2008 दिनांक 12/05/2008 की छायाप्रति भी संलग्न है । स्कीम से संबंधित प्रचार प्रसार यदि इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से किया जाना है तो शासकीय मीडिया का उपयोग किया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्र मे स्थानीय चैनल का उपयोग किया जा सकता है किन्तु इस हेतु सक्षम स्वीकृति एवं शासकीय प्रक्रिया अपनानी होगी । स्थानीय चैनल का उपयोग अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों मे नही किया जा सकेगा । संबंधित अधिकारी जो कि इस कार्य को संपादित करेगा के पास पूर्ण आवश्यकता, औचित्य, सक्षम स्वीकृति एवं उचित शासकीय प्रक्रिया का विवरण होना अनिवार्य है ।

7. जॉबकार्ड को किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कवर या सुरक्षा कवर रखने संबंधी व्यय को न किया जाये।

8. कार्यस्थल पर यदि कोई बोर्ड आदि लगाये जाते हैं तो उनके स्पेसीफिकेशन का भलीभॉति परिक्षण किया जाये साथ ही भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत ही नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

इसी के साथ परिषद के पत्र कमांक 899/22/वि–7/रा.ग्रा.रो.गा.यो./2007 भोपाल दिनांक 30/04/07 के निर्देशानुसार जिला पंचायत स्तर पर यह प्रशासनिक व्यय 1 या 2 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाए ।

यह अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रशासनिक व्यय करने के पूर्व आवश्यकता, औचित्य, विश्लेषण एवं सुविचारण कर ही आगामी कार्यवाही नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाये । वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करें ।

आप सहमत होंगे कि राष्ट्र की महत्वकांक्षी योजना का मध्यप्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं प्रशासनिक व्यय के संबंध में परिलक्षित हुई विसंगतियां/वित्तीय अनियमितताओं से जिले एवं संभाग एवं अन्ततः शासन की छवि धूमिल होती है। कहना न होगा कि हाल ही मे प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण न रख पाने की स्थितियाँ जिलों मे उत्पन्न हुई है एवं जिलों के वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध मे अप्रिय स्थितियों का सामना कर रहें हैं । अतः इस संबंध में आपको व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हुए सतत् नियंत्रण एवं निगरानी रखते हुए योजना का सफल क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करना है ।

संलग्न - यथोपरि

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल

पृ. क्र.।2088/योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 5/09/2009

प्रतिलिपि–

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित जिलों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल